आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री राजपाल यादव, माननीय उपाध्यक्ष तथा
श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष

आभासी (Virtual) सुनवाई के माध्यम से

आ.अ.सं. 660 से 662/ इंदौर /2019
निर्धारण वर्ष : 2005-06 से 2007-08

मे. बंसल बिल्डर्स, भोपाल	बनाम	आयकर अधिकारी 3 (1), भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एएएचएफबी 1046 एन		

अपीलार्थी की ओर से	श्री एन.डी.पटवा, एडवोकेट
राजस्व की ओर से	श्री हर्षित बारी, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	03.09.2021
उद्घघोषणा तिथि	07.09.2021

आदेश

न्यायपीठ द्वारा

निर्धारण वर्ष 2005-06 से 2007-08 से संबंधित निर्धारिती की उपरोक्त शीर्षक की अपीलें विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-2, भोपाल के अलग-अलग आदेशों सभी दिनांक 28.03.2019 के विरूद्ध निदेशित हैं ।

2. निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इन अपीलों के संबंध में अधिकरण के समक्ष लिखित आवेदन दिनांक 11.08.2021 दाखिल किया है जिसमें यह निवेदन किया गया है कि निर्धारिती ने कर विवाद से विश्वास योजना, 2020 के अधीन आवेदन किया है तथा विभाग द्वारा फार्म सं. 3 जारी किया गया है । अतः निर्धारिती वर्तमान अपीलों का अनुसरण करने का इच्छुक नही है । निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त कारण से वर्तमान

अपीलों को वापिस लेने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया । विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने इस अनुरोध का विरोध नहीं किया है । अतः हम इन अपीलों को वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान करते है तथा इन्हें वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं ।

3. यद्यपि, निर्धारिती विधि के अनुसार, विनिहित अवधि के अंदर आदेश को वापिस बुलाने (recall) हेतु विविध आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा यदि उसका इस योजना में भाग लेने हेतु किया गया आवेदन राजस्व द्वारा किसी कारण से अस्वीकृत किया जाता है ।

4. परिणामतः, निर्धारिती की अपीलें वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती हैं ।

यह आदेश 07.09.2021 को आयकर अपीलीय अधिकरण नियम, 1963 के नियम 34 के अंतर्गत उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-	हस्ता/-
(मनीष बोरड)	(राजपाल यादव)
लेखा सदस्य	उपाध्यक्ष

दिनांक : 07.09.2021

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल